

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) अथवा उन विशिष्ट कारपोरेशनों को अधिशासित करने वाली सांविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों और निगमों के लेखाओं तथा अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किए गए हैं।
2. इस प्रतिवेदन में 18 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 39 पीएसयूज से संबंधित 40 पृथक आपत्तियां शामिल हैं। आपत्तियों के प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में पीएसयू काम कर रहे हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रत्येक मामले में उनका उत्तर/ टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए भेजे गए थे। अप्रैल 2014 में इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने तक 23 आपत्तियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इससे पूर्व, आपत्तियों के प्रारूप संबंधित पीएसयूज के प्रबंधन को भेजे गए थे, जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन में उपर्युक्त रूप से समाविष्ट किए गए हैं।
3. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत पीएसयूज से संबंधित है:

मंत्रालय/विभाग (शामिल पीएसयूज की संख्या)	पैराग्राफों की संख्या	उन पैराग्राफों/विषयक अध्ययनों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।
1. परमाणु ऊर्जा (यूसीआईएल)	1	-
2. रसायन और उर्वरक (एचओसीएल, आरसीएफ)	2	-
3. नागर विमानन (एआईएल)	1	1
4. कोयला (सीसीएल)	1	1
5. वाणिज्यिक एवं उद्योग (एमएमटीसी, पीईसी, एसटीसीएल)	2	2
6. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (एफसीआई)	1	1

2014 की प्रतिवेदन संख्या 13

7. रक्षा (एचएएल)	1	-
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास (एनईआरएएमएसी)	1	-
9. वित्त मंत्रालय (ओआईसीएल, एनआईएसी)	2	1
10. खान (एचसीएल)	1	1
11. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, आईओसीएल, ओएनजीसी)	10	8
12. विद्युत (एनटीपीसी)	1	-
13. लोक उद्यम विभाग (नालको,भेल, हुडको, गेल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीएफसी, पीजीसीआईएल, एसजेवीएन, टीएचडीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी, मेकान, आरईसी, बीडीएल)	2	2
14. सड़क परिवहन और राजमार्ग (एनएचएआई)	3	1
15. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (सीईएल)	1	-
16. शिपिंग (एससीएल, डीसीआईएल, एससीआई)	3	-
17. इस्पात (केआईओसीएल, एमएसटीसी, सेल)	6	4
18. कपड़ा (एनटीसी)	1	1
जोड़	40	23

4. लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2946.39 करोड़ हैं।
5. इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियां मौटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की है:
 - ❖ नियमों, निदेशों प्रक्रियाओं, ठेका की निबंधन एवं शर्तों आदि का अननुपालन जिनमें सात पैराओं में ₹ 766.22 करोड़ की राशि शामिल है।
 - ❖ संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना जिनमें 22 पैराओं में ₹ 1854.97 करोड़ की राशि शामिल है।
 - ❖ दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन जिनमें आठ पैराओं में ₹321 करोड़ की राशि शामिल है।
 - ❖ उद्देश्यों की प्राप्ती न होना/आंशिक रूप से प्राप्त होना जिसमें तीन पैराओं में ₹4.20 करोड़ की राशि शामिल है।
6. प्रतिवेदन में आठ पीएसयूज द्वारा की गई ₹115.53 करोड़ की वसूलियों से संबंधित एक पैरा तथा लेखापरीक्षा के कहने पर चार पीएसयूज द्वारा किए गए संशोधनों/परिशोधनों से संबंधित एक अन्य पैरा भी शामिल है।

II प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

सैन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक नियंत्रक कम्पनी ने ई-नीलामी ग्राहकों से वाशरी प्रभारों की वसूली नहीं की, जैसा कि सीआईएल की अन्य सहायक कम्पनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में प्रथा चल रही थी, जिसके कारण अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान ₹418.58 करोड़ के अर्जन करने के अवसर की हानि हुई।

(पैरा सं. 4.1)

एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड दोनों नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) पर क्रमशः मई 2011 और दिसम्बर 2010 से व्यापारिक सदस्य थे जो उपभोगी वस्तुओं की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी के साथ कृषि पण्यों की खरीद और बिक्री के लिए स्पष्ट संविदा से संबंधित हैं जिसका क्रमशः टी+2 और टी+25 दिनों में निपटान किया जाता था। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2013 में पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एनएसईएल ने व्यापार की निपटान प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर दिया। अब तक सुपुर्दगी और 11 दिनों के बाद भुगतान द्वारा निर्धारित की जा रही सभी संविदाओं को 'टी+10' दिनों के आधार पर 23 जुलाई 2013 से निपटाया जाना था। तत्पश्चात एनएसईएल पर व्यापार में कटौती के कारण दायित्वों में भिन्नता थी और जिसके परिणामस्वरूप इससे व्यापार स्थगित कर दिया गया (31 जुलाई 2013) और सभी एक दिवसीय आगामी संविदाओं के निपटान स्थगित कर दिए गए थे।

26 जून 2013 से 26 जुलाई 2013 तक की अवधि के व्यापार के लिए एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा एनएसईएल से ₹ 218.53 करोड़ की राशि की अभी भी वसूली की जानी थी (नवम्बर 2013) जबकि पीईसी को 25 जून 2013 और 25 जुलाई 2013 के बीच होने वाले लेन देनों के लिए एनएसईएल से ₹ 123.19 करोड़ की वसूली करनी थी। एक्सचेंज पर व्यापार प्रथा के अनुसार क्रय भुगतानों और विक्रय वसूली के बीच समयांतराल के कारण राशि वसूली योग्य थी। एनएसईएल ने अगस्त 2013 से दोनों कम्पनियों को इसके प्राप्यों का भुगतान करने में लगातार चूक की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनियों एनएसईएल पर व्यापार और सौदे कर रही थीं जो निवेश/वित्तीय माध्यम के अन्तर्गत एक स्पॉट एक्सचेंज था जहां माल की किसी प्रभावी सुपुर्दगी की मांग नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एनएसईएल मालगोदाम के स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए अनुदेश व्यापार शुरू करने के 18 महीने बाद दिसम्बर 2012 में एमएमटीसी द्वारा जारी किए गए थे जबकि पीईसी लिमिटेड ने किसी भी उपयोगी

वस्तुओं का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया। कम्पनी ने जिससे वे व्यापार कर रही थी उससे व्यापार दूसरे पक्ष का विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया और उपयोगी वस्तुओं की खरीद के प्रति या तो दूसरे पक्ष से अथवा एनएसईएल से टाइटल का दस्तावेज भी नहीं प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार कमियों के बावजूद एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड ने एनएसईएल पर व्यापार जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप दो कम्पनियों के ₹ 341.72 करोड़ का अवरोधन हुआ। इतनी सारी घटनाओं से इसकी वसूली बहुत दूरस्थ प्रतीत होती है।

(पैरा सं. 5.1)

नोर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड अपने संसाधन संयंत्रों का उन्नयन करने में विफल रही और इसने अपनी संचित हानियों को मिटा दिया जैसाकि ₹ 3.96 करोड़ जो कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं और नगद हानियों के प्रति इसके पूँजी व्यय को पूरा करने के लिए थे की निधियों के विपथन के कारण पुनरुद्धार योजना में परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को विपणन सहायता भी मुहैया कराने के मुख्य उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि इसे कार्यशील पूँजी की कमी और सरकार से वित्तीय सहायता के अभाव के कारण सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कृषि इनपुट्स की आपूर्ति के लिए कृषि-बागवानी उत्पादों की खरीद एवं बिक्री से अपने फोकस को शिफ्ट करना था।

(पैरा सं. 8.1)

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने विलम्ब के लिए कीमत कटौती और जुटाव अग्रिम पर ठेका की सामान्य शर्तों में छूट और अनुमान की अपेक्षा 17.41 प्रतिशत तक उच्च कीमत पर नामांकन आधार पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कैप्टिव पावर प्लांट के लिए ठेका दिया (फरवरी 2010)। कथित रियायतों पर आरोप्य अतिरिक्त लागत ₹ 194.10 करोड़ थी, जबकि बीएचईएल को निर्धारित से उच्च मूल्य पर नामांकन आधार पर ठेका देने का सीपीपी के सामयिक समापन का मूल उद्देश्य अधूरा रह गया।

(पैरा सं. 11.3)

पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल)/खनन लाइसेंस (एमएलपी), प्री-एनईएलपी और एनईएलपी ब्लाक्स के तहत आने वाले योग्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम प्रचालनों में खपत हेतु मानित निर्यातों के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के भुगतान से विदेशी व्यापार नीति को हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल (एचएफएचएसडी) की खरीद में छूट देती हैं, यदि ऐसे एचएफएचएसडी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) द्वारा खरीदे गए हों। ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड ने 2006-13 के दौरान अपने योग्य क्षेत्रों में इनके

पेट्रोलियम प्रचालन हेतु आईसीबी निविदा का सहारा लिए बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान करते हुए और बाद में आईसीबी द्वारा उत्पाद शुल्क सहित आपूर्तिकर्ता को कीमत उद्धृत करने का विकल्प यह कहते हुए कर दिया कि कम्पनी द्वारा उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसपर डीजीएफटी से कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं हुआ था। कम्पनी की ओर से जागरूकता की इस प्रकार की कमी तर्कसंगत नहीं है, विशेष रूप से जबकि समान प्रावधानों के तहत तेल कुएं सीमेंट की अधिप्राप्ति में डीईबी लेने में इसकी विफलता को सीएजी के 2007 के प्रतिवेदन सं. 11 में उजागर किया गया है। कम्पनी को यह भी पता था कि पीएमटीजेवी ऐसी छूट प्राप्त कर रही थी जहां कम्पनी का भागीदारी हित 40 प्रतिशत है। 2006-13 के दौरान ₹ 326.75 करोड़ का मानित निर्यात लाभ न लेने के कारण परिहार्य व्यय हुआ था।

(पैरा सं. 11.7)

एनटीपीसी लिमिटेड (कम्पनी) ने बार सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (चरण I) को मुख्य संयंत्र पैकेज (भाग-क एवं भाग-ख) के लिए क्रमशः मैसर्स एफजीयूपी 'वीओ' टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट रशिया (टीपीई) और मैसर्स पावर मशीन्स (पीएम) को ठेके दिए। ठेके में इसके ठेकागत मूल्य के 20 प्रतिशत की सीमा के अध्यक्षीन विदेशी ओर देशज सामग्री दोनों के लिए कीमत वृद्धि को अनुबद्ध किया गया था। टीपीई ने कम्पनी द्वारा टीपीई की विधिक प्रास्थिति के परिवर्तन की स्वीकृति में विलम्ब के कारण 20 प्रतिशत की कीमत परिवर्तन सीमा के हटाने और ठेकागत डीलीवरी कार्यक्रम के बढ़ाने के लिए कम्पनी से सम्पर्क किया। पीएम ने सामग्री लागत में स्फीति प्रवृत्तियों और प्रतिकूल विनियम दरों के आधार पर समान अनुरोध का अनुसरण भी किया। कम्पनी ने ठेकागत प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर ठेका को समाप्त करने और टीपीई की लागत एवं खर्चों पर ठेका पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय(एमओपी) से अनुमति मांगी। एमओपी ने 2005 से 20 प्रतिशत की कीमत परिवर्तन सीमा को हटाते हुए समापन कार्यक्रम को संशोधित करने के लिए और टीपीई के साथ ठेका समाप्त न करने के कम्पनी को निदेश दिए। तदनुसार, कम्पनी ने पूर्वप्रभावी रूप से उपर्युक्त कीमत परिवर्तन सीमा को हटाते हुए और समापन कार्यक्रम को बढ़ाते हुए टीपीई एवं पीएम के साथ ठेका संशोधित किया। संशोधनों के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ जिसके लिए कम्पनी को मूल ठेकागत अवधि के अन्दर आपूर्त की गई विदेशी सामग्री के प्रति 3.51 यूएस मिलियन डॉलर की अतिरिक्त देयता और 31.53 यूएस मिलियन डॉलर (₹ 142.33 करोड़) का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा। यह समान स्तर पर कार्य की अस्वीकृति थी क्योंकि कीमत भिन्नता के प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण मानदण्ड को हटाने से टीपीई और पीएम को पश्च ठेकागत लाभ दिया गया।

(पैरा सं. 12.1)

पांच सीपीएसईज़ (नालकों, भेल, हुडकों, गेल और आईओसीएल) ने सेवानिवृत्ति पर अस्वस्थता अवकाश या अर्जित अवकाश के साथ 300 दिनों से अधिक की एचपीएल के नकदीकरण के लिए छुट्टी नियामावली/नीति के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2006 से मार्च 2013 के अवधि के दौरान ₹ 138.58 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, सात सीपीएसईज़ (भेल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, टीएचडीसी, एसजेवीएन, पीएफसी) ने 2008 से 2012 के दौरान कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य निधि के कारण ₹ 23.42 करोड़ का अनियमित योगदान किया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (मार्च 2008) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुदेशों के उल्लंघन में मार्च 2008 से पूर्व किए गए ₹ 38.70 करोड़ की राशि के अधिक योगदान को समायोजित नहीं किया।

(पैरा सं. 13.1)

पांच सीपीएसईज़ (ओएनजीसी, मीकान, आरईसीएल, भेल और बीडीएल) ने पीआरपी के भुगतान के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया और 2008-09 से 2012-13 के पांच वर्षों के लिए ₹ 202.95 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

(पैरा सं. 13.2)

कार्य समापन की तारीख से टोल के संग्रहण को प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों और संग्रहण का अवधारण) नियमावली, दिनों के 45 में अनुबद्ध किए गए 2008 प्रति एनएच 2-पर इलाहाबाद बायपास परियोजना पर टोल संग्रहण लगभग तीन वर्षों के विलम्ब के बाद प्रारम्भ हो सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 150.09 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा सं. 14.1)

सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना पाक बे और मन्नार खाड़ी को जोड़ने के लिए भारत की समुद्री सीमा में शिपिंग चैनल के निर्माण का प्रस्ताव रखता है। यह परियोजना भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट और दूसरे देशों के बीच शिप की यात्रा के लिए यात्रा समय में कमी को परकल्पित करता है। सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड (एससीएल) दिसम्बर 2004 में परियोजना के लिए एक विशेष उद्देश्य के माध्यम के रूप में समाविष्ट किया गया था और तूतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट (टीपीटी) को परियोजना पूर्व कार्यकलापों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश करते हुए सितम्बर 2007 में एक अन्तरिम आदेश पारित किया कि ड्रेजिंग कार्यकलाप किए जा सकते हैं, लेकिन कथित एडम्स ब्रिज/राम सेतु किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा। एडम्स ब्रिज क्षेत्र में समस्त ड्रेजिंग कार्य सितम्बर 2007 से स्थगित कर दिया गया था। तथापि मामला अभी निर्णयाधीन है। पर ड्रेजिंग कार्य पाक स्ट्रेट पर जारी रहा जब तक की ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने जुलाई 2009 में अपने ड्रेजर को वापस नहीं ले लिये। इसके बाद से परियोजना में कोई कार्यकलाप नहीं किया गया और ड्रेजिंग की आंशिक मात्रा पर ₹ 800 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है।

परियोजना की परिकल्पना और अनुमोदन परिवहन प्रक्षेपणों के आधार पर किया गया था जो पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं था। परियोजना का अनुमोदन मई 2005 में ₹ 2427.40 करोड़ की लागत पर किया गया था जिसका डेब्ट इक्विटी अनुपात 1.5:1 था। निजी स्थापन के माध्यम से इक्विटी और बाजार से ऋण जैसा कि आर्थिक मामलों पर संसदीय समिति के नोट में परिकल्पित था को कभी मूर्तरूप नहीं दिया जा सका था। दिसम्बर 2008 तक ₹ 4,504.09 करोड़ की संशोधित लागत को अनुमोदन नहीं दिया गया था और यह आगे बढ़ सकता था।

ड्रेजिंग परियोजना का मुख्य कार्यकलाप था। ड्रेजिंग के उद्देश्य के स्ट्रेच को चार कार्यो ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया था।

पोत परिवहन मंत्रालय ने डीसीआई को नामांकन आधार पर परियोजना को जल्द प्रारम्भ करने के हित से कार्य 'डी' देने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडल समिति का अनुमोदन मई 2005 में प्राप्त किया। न केवल ठेका को नामांकन आधार पर दिया गया था किन्तु दरों को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

यह भी पाया गया कि पर्याप्त मृदा डॉटा के अभाव के कारण, कार्य ए, बी और सी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली का पहला राउंड निष्फल रहा। डीसीआई ने ड्रेजरों की कमी के कारण बोली के पहले राउंड में भाग नहीं लिया। दूसरे राउंड में उन्होंने पाक स्ट्रेट में कार्य सी और एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ए-बी भाग के लिए ड्रेजिंग इंटरनेशनल के साथ संघ के रूप में भाग लिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीपीटी ने फरवरी 2006 में बोली के दूसरे चरण में भी पुराने अनुमानों का अद्यतन नहीं किया था, जो नवम्बर 2004 में तैयार किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप बोली के दूसरे चरण में प्राप्त की गई दरों की तार्किकता का अवास्तविक

मूल्यांकन हुआ। दूसरी निविदा भी निविदाकारों द्वारा उद्धृत उच्च दरों के आधार पर जुलाई-अगस्त 2006 में भी कर दी गई थी।

एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य के निष्पादन के लिए श्रमबल, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के संदर्भ में डीसीआई की बाध्यताओं के बावजूद, मंत्रालय ने 19 सितम्बर 2006 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति को सभी भागों में ड्रेजिंग कार्य के लिए ₹ 2171.40 करोड़ की संशोधित बड़ी हुई लागत के अन्दर डीसीआई के नामांकन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजा। मंत्रालय ने अक्टूबर 2006 में नामांकन के आधार पर डीसीआई को ड्रेजिंग का पूरा कार्य दे दिया। इस प्रकार मंत्रालय ने जून 2005 में कार्य डी के लिए और अक्टूबर 2006 में बाकी के सभी खण्डों अर्थात् ए, बी, सी के लिए डीसीआई को नामांकित किया और देय दरों की अवधारण विधि प्रचलित बाजार दरे थी।

डीसीआई ने पोत परिवहन मंत्रालय के चार्टरिंग विंग के ट्रांसचार्ट के माध्यम से ड्रेजर किराए पर लिए। ट्रांसचार्ट ने डीसीआई द्वारा दिए गए विनिर्देशों को विभिन्न एजेंटों, दलालों तथा शिपिंग कम्पनियों को जारी किए और उद्धरण प्राप्त किए। किसी निविदा प्रक्रिया की सहायता नहीं ली गई थी और ड्रेजर की उपयुक्तता के साथ कीमत वसूली प्रक्रिया डीसीआई द्वारा की गई बातचीत पर आधारित थी और इसमें पारदर्शिता की कमी थी। इसके अतिरिक्त ड्रेजरों को भी तकनीकी विशिष्टता के लिए आधारभूत जानकारी को अन्तिम रूप दिए बिना ही लगाया गया था और कारणों का विश्लेषण किए बिना कि क्यों अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के दो प्रयास जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों ने भाग लिया था, विफल हो गए थे।

पूरी की गई ड्रेजिंग एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेज्ड किए जाने वाले 48 मीलियन घनमीटर की स्वस्थाने मात्रा के लक्ष्य का केवल 20 प्रतिशत था इसे इस तथ्य के मद्देनजर भी देखा जाएगा कि 'डीसीआई ने एडम्स ब्रिज क्षेत्र में कार्य के लिए दिनांक 16 सितम्बर 2006 के अपने पत्र में भी पुष्टि की थी कि एक सीएसडी एक्वेरियस के अलावा इसके पास कोई अन्य उपकरण अथवा श्रमबल नहीं था। ड्रेजर एक्वेरियस भी विफल हो गया था।

फरवरी और सितम्बर 2007 के बीच 9.52 मीलियन घनमीटर की एक स्वस्थाने मात्रा एडम्स ब्रिज क्षेत्र के उत्तरी दिशा में ड्रेज्ड की गई थी तथा चैनेज 30-35 किमी के बीच चैनल संरेखण में डम्प की गई थी। ऐसी डम्पिंग अप्राधिकृत थी।

चैनल संरेखण में ड्रेज्ड सामग्री को डालने का निर्णय स्वयं में ही पर्यावरणीय मंजूरी में लगाई गई शर्तों का उल्लंघन था। ऐसे स्थान पर डम्पिंग जिसका पर्यावरणीय प्रभाव के लिए निर्धारण नहीं किया गया है, से समुद्रीय पर्यावरणीय प्रणाली में गम्भीर विध्वन डालने को

2014 की प्रतिवेदन संख्या 13

नकारा नहीं जा सकता। यह अनुमान लगाया गया है कि ड्रेज्ड तथा डाली गई सामग्री के 9.52 मिलियन घनमीटर में से लगभग 5 मिलियन घन मीटर को पुनः संभालने की आवश्यकता है। अतः पर्यावरणीय प्रणाली में गड़बड़ी की संभावना बढ़ रही है।

पाक स्ट्रैट क्षेत्र में जुलाई 2007 में पूर्ण होने वाला कार्य डी जनवरी 2009 में पूरा किया गया था। पाल्क स्ट्रैट क्षेत्र में कार्य सी के लिए जुलाई 2009 में जब कार्य को रोका गया था, केवल 38 प्रतिशत ड्रेजिंग कार्य पूरा हुआ था।

यद्यपि एडम्स ब्रिज क्षेत्र के लिए डीसीआई और एससीएल के बीच समझौता जापान में अन्तरिम सर्वेक्षण अनुबद्ध था, फिर भी डीसीआई द्वारा फरवरी और सितम्बर 2007 के बीच की अवधि के लिए कार्य नहीं किया गया और ड्रेज्ड सामग्री स्वयं संरक्षण में ही डाल दी गई थी।

जुलाई 2009 में ड्रेजिंग कार्य के आस्थगित होने के पश्चात, एनएचओ ने पाक स्ट्रैट क्षेत्र में अगस्त/सितम्बर 2009 में सर्वेक्षण किया एवं जनवरी 2009 में अपने सर्वेक्षण में डीसीआई द्वारा आकलित 21.43 मीलियन घनमीटर की ड्रेज्ड मात्रा के प्रति 18.9 मिलियन घनमीटर के ड्रेज्ड मात्रा को प्रमाणित किया। यह सिल्टेशन प्रक्रिया के कारण था।

डीसीआई की दर संरचना में सिल्टेशन तथा अतिरिक्त ड्रेजिंग की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर चार प्रतिशत की अतिरिक्त मात्रा पर विचार किया था। तथापि, डीसीआई द्वारा नियुक्त किए गए एक विशेषज्ञ द्वारा बाद में सिल्टेशन 10 प्रतिशत प्रति वर्ष आकलित किया गया था।

इस प्रकार डीपीआर की तैयारी सटीक नहीं थी।

(पैरा सं. 16.1)

बीआईएफआर दिशानिर्देशों के अनुसार बातचीत के विकल्प का उपयोग किए बिना भारत टेक्सटाइल मिल्स मुम्बई (सितम्बर 2010) की भूमि की बिक्री को एक सप्ताह पूर्व हुई सन्निकट भूमि की बिक्री से कम दर पर करने के नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के निर्णय के परिणामस्वरूप भूमि की बिक्री से ₹ 156.97 करोड़ अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

(पैरा सं. 18.1)